

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डॉ० अंजनी कुमार,
अपर निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी एसिड अटैक,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

पटना, दिनांक :- / / 2019

विषय:- तेजाब हमला की घटना के संबंध में।
प्रसंग:- राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के पत्रांक-14/2/40/2018(WSC) New
दिनांक-09.01.2019 एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के पत्रांक-19,
दिनांक-23.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तेजाब हमले के पीड़ितों के निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। पीड़ितों के ईलाज में होने वाला सम्पूर्ण खर्च मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्रदान किये जाने का प्रावधान है किन्तु यह राशि अस्पताल के प्राकलन जो अस्पताल द्वारा अनुमोदित हो, को उपलब्ध कराने पर सीधे अस्पताल को भेजे जाने का प्रावधान है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आपके ईलाज में होने वाला खर्च का प्राकलन संबंधित अस्पताल से प्राप्त कर (जो अस्पताल द्वारा अनुमोदित हो)। विभाग में प्रस्तुत किया जाय ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० अंजनी कुमार)

अपर निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी एसिड अटैक,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 299 (18) /

स्वा०, पटना, दिनांक:- 14/02/2019

प्रतिलिपि:- बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुद्ध मार्ग पटना को उनके पत्रांक-19,
दिनांक-23.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं०-21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली-110025 को उनके पत्रांक-14/2/40/2018 (WSC) New दिनांक- 09.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/14.2.19.

अपर निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी एसिड अटैक,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।